

## “राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम, संरक्षण एवं निवारण” निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रेस ब्रीफ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) विधान मंडल के पटल पर रखने के लिए अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। तदनुसार, राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम, संरक्षण और निवारण पर निष्पादन लेखापरीक्षा की रिपोर्ट - राजस्थान सरकार को दिनांक 22-09-2022 को राज्य विधान मंडल के पटल पर रखा गया है। प्रक्रिया के अनुसार, सीएजी की रिपोर्ट राज्य विधान मंडल की लोक लेखा समिति को संदर्भित की जाती है।

### इस निष्पादन लेखापरीक्षा को करने का उद्देश्य

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान 2010-2016 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध पंजीकृत अपराधों की उच्चतम संख्या के मामलों में देश के शीर्ष चार राज्यों में से एक था, 2017-2018 के दौरान पांचवें और 2019 के दौरान दूसरे स्थान पर था। राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध पंजीकृत अपराध की घटनाएं 2010 में 18,344 से बढ़कर 2019 में 41,623 हो गईं, अर्थात् 2010-19 के दौरान 10.86 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर पर 126.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि में राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध दर अखिल भारतीय औसत और पड़ोसी राज्यों की तुलना में लगातार अधिक थी।

विभिन्न अधिनियमों, स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों आदि के तहत निर्धारित निवारण तंत्र की कुशलता तथा किए गए या किए जाने वाले उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए “राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम, संरक्षण एवं निवारण” विषय पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा में पांच विभागों- महिला अधिकारिता निदेशालय (मअनि), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (सान्याअवि), बाल अधिकारिता विभाग (बाअवि), गृह विभाग तथा विधिक सेवा प्राधिकरणों और दो आयोगों राजस्थान राज्य महिला आयोग (रारामआ) एवं राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (राराबाअसंआ) को शामिल किया गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा में इन प्राधिकरणों द्वारा नौ स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के कार्यान्वयन को सम्मिलित किया गया है। यथा:

- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005;

- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013;
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006;
- राजस्थान डायन-प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015;
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961;
- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012;
- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956;
- स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 तथा
- सती (निवारण) अधिनियम, 1987

मुख्य लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ जो कि लेखापरीक्षा निष्कर्षों और अनुशंसाओं का आधार बनी निम्न प्रकार हैं:-

## अध्याय 2: राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की सांख्यिकीय प्रवृत्ति

- 2010-19 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 10.86 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 126.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी तथा 2010-19 की अवधि में महिलाओं के विरुद्ध अपराध दर अखिल भारतीय औसत और पड़ोसी राज्यों की तुलना में लगातार अधिक थी |

(अनुच्छेद 1.1, 2.1 एवं 2.2)

- राज्य में 2010-19 की अवधि के दौरान महिलाओं से संबंधित विभिन्न स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत 3,566 अपराध के मामले दर्ज किए गए जबकि महिलाओं के विरुद्ध अपराध के 2,68,172 मामले भादसं की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दर्ज किए गए |

(अनुच्छेद 2.4)

अध्याय 3: राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम, संरक्षण एवं निवारण की दिशा में किये गये प्रयास

### 3.1: योजना

- 2012-20 के दौरान भी, न तो महिलाओं के विकास एवं संरक्षण के लिए योजनाएं संबंधित विभागों से प्राप्त हुई थीं, ना ही इस तरह की

योजनाओं को प्राप्त करने तथा एकीकृत करने के लिए महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा कोई प्रयास किए गए | 2013 से विचाराधीन होने के बावजूद, राज्य सरकार ने (राजस्थान राज्य महिला नीति 1996 तथा राजस्थान राज्य बालिका नीति 2013 को प्रतिस्थापित कर) अप्रैल 2021 में नई 'राजस्थान राज्य महिला नीति 2021' को अंतिम रूप दिया और लागू किया |

(अनुच्छेद 3.1.1 एवं 3.1.4)

- महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा 2017-20 के दौरान बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए समेकित कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी, हालांकि इन प्रत्येक वर्षों में संबंधित विभागों से उनके द्वारा तैयार कार्य योजनाओं को प्रेषित करने का अनुरोध किया था |

(अनुच्छेद 3.1.2)

### **अनुशंसाएँ**

1. राज्य सरकार को 'राजस्थान राज्य महिला नीति 2021' के अनुसार समस्त संबंधित हितधारकों से प्राप्त आदानों के आधार पर महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध अत्याचारों और हिंसा को रोकने के लिए एक समेकित कार्य योजना तैयार करनी चाहिए |
2. महिला अधिकारिता विभाग को हितधारक विभागों के साथ समन्वय और नियमित बातचीत सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि 'राजस्थान राज्य महिला नीति 2021' के उद्देश्यों को सार्थक और प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सके |

### **3.2: प्रवर्तन**

- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत घरेलू घटना प्रतिवेदन दाखिल के लिये, पर्याप्त संख्या में संरक्षण अधिकारियों की आवश्यकता की कमी का सामना करना पड़ा क्योंकि संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्यों/कार्यों को अतिरिक्त रूप से महिला अधिकारिता निदेशालय के जिला कार्यक्रम अधिकारियों/प्रचेताओं को सौंपा गया था जो विभाग में पहले से ही कम थे |

(अनुच्छेद 3.2.1)

- महिला अधिकारिता निदेशालय ने राज्य में उन सभी कार्यालयों/कार्यस्थलों जहाँ दस या अधिक कर्मचारी काम कर रहे थे, वहाँ आन्तरिक समिति का गठन सुनिश्चित नहीं किया था ।

(अनुच्छेद 3.2.2)

- राज्य में 2010-19 के दौरान दहेज हत्या के 4,553 मामले (भादसं की धारा 304 बी) और दहेज की मांग सहित घरेलू हिंसा के 1,38,195 मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन किसी भी पीड़ित व्यक्ति या रिश्तेदार ने मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी से शिकायतें दर्ज करने के लिए संपर्क नहीं किया । यह इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि अधिनियम में निर्दिष्ट तंत्र या तो अनुपस्थित था या क्रियाशील नहीं था ।

(अनुच्छेद 3.2.5)

- 2012-20 की अवधि में नमूना जांच किए गए 47 पुलिस थानों में महिलाओं के विरुद्ध अपराध से संबंधित 25,849 मामलों में से दहेज, बलात्कार, पोक्सों और घरेलू हिंसा आदि से संबंधित 5,081 मामलों (19.66 प्रतिशत) में जांच, मामला दर्ज होने के बाद 60 से 1,855 दिनों तक की देरी से पूर्ण हुई और इन मामलों में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया था ।

(अनुच्छेद 3.2.8)

- 2012-20 के दौरान बलात्कार और पोक्सों के 14.90 प्रतिशत (नमूना जांच के 1,007 में से 150 मामले) मामलों में, यद्यपि नमूने (कपड़े, वीर्य, स्वैब, रक्त आदि) एकत्र किए गए और मालखाना (जब्त वस्तुओं का भंडार) में जमा किए गए थे, उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया । इसके अलावा, 2012-20 के दौरान 763 मामलों (75.77 प्रतिशत) में नमूनों को 3 साल तक की देरी से विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था ।

(अनुच्छेद 3.2.11.1)

- नमूने एकत्र करने में ढिलाई, परीक्षण के लिए नमूने अग्रेषित करने में विफलता या विलम्ब, परीक्षण रिपोर्ट संग्रह में विलम्ब, बलात्कार और पोक्सो से संबंधित मामलों में जांच की गुणवत्ता पुलिस की असंवेदनशीलता और घोर लापरवाही की ओर इशारा करते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे जघन्य अपराधों की जांच और दोषसिद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(अनुच्छेद 3.2.11.1)

### **अनुशंसाएँ**

3. राज्य सरकार को 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम' के प्रभावी प्रवर्तन के लिए समस्त सार्वजनिक और निजी संस्थानों में आंतरिक समितियों का गठन सुनिश्चित करना चाहिए।
4. राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के दर्ज मामलों की जाँच की जाए और आरोप पत्र दायर किए जाएं।
5. राज्य सरकार को महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों को संवेदनशीलता के साथ निपटाने हेतु पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि पुलिस पर व्यापक रूप से जनता एवं विशेषकर महिलाओं का विश्वास बेहतर हो सके।
6. राज्य सरकार को उन मामलों का ब्यौरा एकत्र करना चाहिए जहाँ फॉरेंसिक जाँच के नमूनों के संग्रहण और अग्रेषण में लापरवाही और देरी हुई है तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जिम्मेदारी तय करनी चाहिये।
7. विशेष रूप से बलात्कार/पोक्सो से संबंधित मामलों की जांच की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार को एमएफयू, डीएनए परीक्षण और ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग सहित जांच तंत्र का पर्याप्त उपयोग करने के लिए जांच अधिकारियों को प्रोत्साहित करना चाहिये।

### 3.3: पुनर्वास

- गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित स्वाधार गृह, जो कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए थे, के द्वारा आवासनियों के प्रवेश की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तथा प्रवेश की सूचना पुलिस को नहीं दी गई। इसके अलावा, आवासनियों को व्यावसायिक/कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान नहीं करवाया गया।

(अनुच्छेद 3.3.2.1)

- मार्च 2017 तक राज्य में कार्यरत सात स्वाधार गृहों में से मार्च 2020 तक केवल चार क्रियाशील रहे जबकि शेष तीन बंद कर दिए गए। स्वाधार गृहों में जो क्रियाशील थे, उनमें आवासनों को व्यावसायिक/कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 3.3.2.4)

- राज्य में 861 पुलिस थानों में से केवल 52 पुलिस थानों (6.04 प्रतिशत) पर ही मार्च 2020 तक पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) को पदस्थापित किया गया था।

{अनुच्छेद 3.3.5.2 (ब)}

### अनुशंसा

8. समस्त शहरी स्थानीय निकायों, पुलिस थानों, जेलों और ग्राम पंचायत मुख्यालयों में कानूनी विधिक सहायता केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए और महिलाओं के विरुद्ध अपराध के पीड़ितों की सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने में पैरा लीगल वालंटियर्स पदस्थापित किए जाने चाहिए।

### 3.4: जन जागरूकता सृजन

- पीड़ित महिलाओं से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिए राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा 2013-20 के दौरान तीन जिलों (जालौर, सवाईमाधोपुर और सिरोही), 2014-20 के दौरान 8 जिलों, 2015-20 के दौरान एक जिला (चूरू) और 2017-20 के दौरान 11 जिलों में कोई सार्वजनिक सुनवाई आयोजित नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 3.4.5)

- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में सरकारी अधिकारियों को जागरूक करने और संवेदनशील बनाने में बाल आधिकारिता विभाग के प्रयासों में कमी थी |

(अनुच्छेद 3.4.8)

- नमूना जांच किये गये 11 पुलिस जिलों में 2017-20 के दौरान 35.91 लाख में से केवल 0.90 लाख छात्रों ने अपने छात्र को जाने-अपनी पुलिस को जाने कार्यक्रम में भाग लिया था |

{अनुच्छेद 3.4.9 (बी)}

### **अनुशंसा**

9. राज्य सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए सांविधिक उपायों के बारे में लक्षित समूहों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने और बढ़ाने में नागरिक समाज समूहों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कदम उठाने चाहिए | जिम्मेदार अधिकारियों को बड़े पैमाने पर समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया विकल्पों का उपयोग करने की योजना बनानी चाहिए | पुलिस अधिकारियों को वार्षिक आधार पर 'अपने छात्र को जाने-अपनी पुलिस को जाने' कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए |

### **3.5: मानव संसाधन प्रबंधन**

- सरकार द्वारा महिला आधिकारिता निदेशालय में प्राथमिकता के आधार पर रिक्त पदों को भरने के लिए दिए गए आश्वासन के बाद भी, नमूना जांच किये गए उप निदेशक/सहायक निदेशक के कार्यालय लगातार अत्यधिक कमी का सामना कर रहे थे, जो विभिन्न संवर्गों में 58.33 से 85.71 प्रतिशत तक थी | यह कमी मार्च 2020 को बारां (85.71 प्रतिशत), प्रतापगढ़ (83.33 प्रतिशत), उदयपुर (70.83 प्रतिशत), भरतपुर (70.59 प्रतिशत) और जयपुर (68.18 प्रतिशत) जिलों में बहुत अधिक थी |

(अनुच्छेद 3.5.1)

- राज्य के पुलिस विभाग में जनवरी 2020 तक कुल स्वीकृत पदों के विरुद्ध 13.61 प्रतिशत मानव संसाधन की कमी थी | इसके अतिरिक्त, आपराधिक मामलों की जांच के लिए जिम्मेदार निरीक्षक/उप निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक संवर्गों के जमीनी स्तर के अधिकारियों में कमी 37.71 प्रतिशत के उच्च स्तर तक थी |

(अनुच्छेद 3.5.5)

- स्वीकृत राज्य पुलिस कार्यबल में महिलाएं नौ प्रतिशत से भी कम हैं, जो जांच, नमूना संग्रहण, परामर्श आदि जैसी गतिविधियों की दक्षता को प्रभावित कर सकती हैं।

(अनुच्छेद 3.5.6)

### अनुशासन

10. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महत्वपूर्ण पदों जैसे संरक्षण अधिकारी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, दहेज प्रतिषेध अधिकारी आदि को प्राथमिकता पर भरा जाये। अधिकारियों को नियमित, व्यापक और केंद्रित प्रशिक्षण प्रदान करके संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है।

11. राज्य सरकार को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में अपेक्षित संख्या में प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए।

12. चूंकि 'नारी निकेतन/महिला सदन' और बालिका गृह महिलाओं और बालिकाओं को कठिन परिस्थितियों में आश्रय और राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं, इसलिए राज्य सरकार को उनके लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा और संसाधन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करना चाहिए।

13. राज्य सरकार को पुलिस विभाग और भर्ती एजेंसी के बीच समन्वय के माध्यम से पुलिस कार्यबल में महिला कर्मिकों के अनुपात को धीरे-धीरे बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करनी चाहिए।

### अध्याय 4: आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

- 2014-20 के दौरान कार्यक्रम अधिकारी द्वारा महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों के केवल 12.89 प्रतिशत (675 के विरुद्ध 87) निर्धारित दौरे किये गये थे। इसके अलावा, 2017-20 के दौरान कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों के 121 अनिवार्य निरीक्षणों के विरुद्ध जयपुर-पश्चिम, उदयपुर, प्रतापगढ़ और भरतपुर में एक भी निरीक्षण नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 4.1.3)



- संबंधित अधिकारियों ने आश्रय स्थलों और सुरक्षा गृहों की उचित निगरानी नहीं की तथा महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए निर्धारित आवधिकता में बैठकें नहीं की।

(अनुच्छेद 4.1.6 और 4.1.9)

### **अनुशंसाएँ**

14. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य स्तरीय निगरानी तंत्र राजस्थान राज्य महिला आयोग आदि के माध्यम से निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करें। नामित अधिकारियों को निर्धारित संख्या में सार्वजनिक बैठकों और आंतरिक बैठकों का आयोजन करना चाहिए ताकि राज्य में महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की प्रभावकारिता की निगरानी की जा सके।

15. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न कानूनों (जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम आदि) के अनुरूप निगरानी समितियों का विधिवत गठन किया गया है और उनके द्वारा संबंधित कानूनों के अंतर्गत प्रदान किए गए अधिदेश के अनुसार कार्य किया जा रहा है।

16. आवासनियों को सेवाएं प्रदान करने में अनियमितताओं को समय पर सुधार करने के लिए स्वाधार गृहों, बालिका गृहों और संरक्षण और पुनर्वास गृहों का उचित अनुश्रवण और नियमित पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।